न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर जिला सीकर(राज0)

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
18 / 2021	2021 / 027	05.02.2021	10.11.2022

उनवान प्रकरण

प्रेमाराम पुत्र रूड़ाराम उम्र 42 साल जाति माली निवासी बड़ी ढ़ाणी थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

—वादी

बनाम

भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

——प्रतिवादी

उपस्थितः–

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा, एड0 वादी अभिभाषक।
सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी की ओर से।

वादपत्र बाबत घोषणा एंव दुरूस्ती रिकार्ड अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादी के इस आशय का पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम बड़ी ढ़ाणी (थोई) पटवार हल्का थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 2256, 2258, 2259, 226[illegible] 2262, 2264, 2265, 2267, 2268, 2269, 2271, 2272, [illegible] कुल किता– [illegible] कुल रकबा 3.5200 हैक्टर एवं कृषि भूमि खसरा नम्बर 2257, [illegible] 2319, 2320 कुल कि[illegible] कुल

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.11.18 18:11:33 IST
Reason: SelfAttested

10/11/22

दिलीप सिंह
पीठासीन अधिकारी
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

रकबा 1.5800 हैक्टर में हिस्सा 1/16 की खातेदारी में वादी का नाम औमप्रकाश पुत्र रूड़ा दर्ज है। जबकि वादी का वास्तविक नाम प्रेमाराम पुत्र रूड़ाराम है। वादी का वास्तविक नाम प्रेमाराम पुत्र रूड़ाराम ही है तथा इसके आधार कार्ड, पैन कार्ड, परिवार राशन कार्ड, बैंक पास बुक, ड्राईविंग लाईसेंस आदि सभी दस्तावेजात में भी वादी का नाम प्रेमाराम पुत्र रूड़ाराम ही है परन्तु कृषि भूमि की खातेदारी में वादी को घर पर बचपन मे बोलते नाम औमप्रकाश पुकारने के कारण मृत्तक पिता का विरासत का नामान्तकरण दर्ज करते समय वादी का नाम औमप्रकाश पुत्र रूड़ा दर्ज कर दिया गया। जिससे वादी को सख्त हक तलफी है एवं वादी को राज्य सरकार से मिलने वाली सुविधाओं में परेशानी आ रही है। इसलिए उक्त वर्णित कृषि भूमि की खातेदारी में वादी का नाम औमप्रकाश पुत्र रूड़ा के स्थान पर प्रेमाराम पुत्र रूड़ाराम घोषित किया जाकर दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। वादी ने पटवारी हल्का व भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर से उक्त सही नाम दुरूस्त करने हेतु निवेदन किया तो अदालत मे दावा प्रस्तुत करने हेतु कहे जाने पर न्यायालय में बिनाय ए दावा पैदा होकर दावा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। वकील वादी ने वाद पत्र पेश कर ग्राम बड़ी ढ़ाणी (थोई) पटवार हल्का थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 2256, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2264, 2265, 2267, 2268, 2269, 2271, 2272, 2317 कुल किता–14 कुल रकबा 3.5200 हैक्टर एवं कृषि भूमि खसरा नम्बर 2257, 2263, 2270, 2318, 2319, 2320 कुल किता–6 कुल रकबा 1.5800 हैक्टर में हिस्सा 1/16 की खातेदारी में वादी का नाम औमप्रकाश पुत्र रूड़ा के स्थान पर प्रेमाराम पुत्र रूड़ाराम घोषित किया जाकर दुरूस्त किये जाने तथा उक्तानुसार दुरूस्ती करने हेतु भूमिधारी तहसीलदार को आदेश प्रदान किये जाने का निवेदन वकील वादी द्वारा अपने वादपत्र में किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.11.18 18:11:33 IST
Reason: SelfAttested

इस पर वादी के वादपत्र [illegible] रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। [illegible] में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में प्रतिवादी भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर से वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक

10/11/22

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

जॉच रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक 908/भू.अ./2022 दिनांक 01.04.2022 के द्वारा जॉच रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। साक्ष्य वादी गवाह में मुक्तिलाल व मोहनलाल के लिखितशुदा शपथ पत्र पेश हुए। प्रकरण में प्रार्थी/वादी के नाम के सम्बन्ध में दैनिक समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका के सीकर संस्करण में दिनांकित 31 अगस्त 2022 को प्रार्थी का नाम औमप्रकाश पुत्र रूड़ाराम की जगह प्रेमाराम पुत्र रूड़ाराम जाति माली निवासी बड़ी ढ़ाणी तन् थोई तहसील श्रीमाधोपुर नाम परिवर्तन करवाने बाबत सूचना समाचार पत्र में प्रकाशित हो चुकी है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने तथा नाम परिवर्तन की सूचना समाचार पत्र में प्रकाशित हो जाने से एंव साक्ष्य वादी में शपथ पत्र पेश हो जाने से वकील वादी ने वादपत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन करते हुए प्रकरण में आज ही बहस सुने जाने का निवेदन किया गया है।

हमनें वादी अभिभाषक की बहस एक पक्षीय सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वादी अभिभाषक द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों वादी के आधार कार्ड, पैन कार्ड, परिवार राशन कार्ड, बैंक पास बुक, ड्राईविंग लाईसेंस आदि मे भी वादी का नाम प्रेमाराम पुत्र रूड़ाराम ही अंकित होना प्रकट होता है एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 के अनुसार वादग्रस्त भूमियों की खातेदारी में वादी का नाम औमप्रकाश पुत्र रूड़ा हिस्सा 1/16 दर्ज रिकार्ड होना प्रकट होता है जबकि वादी का वास्तविक नाम प्रेमाराम पुत्र रूड़ाराम होना रिकार्ड दस्तावेजात् से प्रमाणित होता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अपनी जॉच रिपोर्ट में अवगत है कि उक्त वादग्रस्त भूमि की खातेदारी में वादी का नाम औमप्रकाश पुत्र रूड़ा हिस्सा 1/16 दर्ज रिकार्ड है। पटवारी हल्का थोई ने उक्त भूमि में दर्ज औमप्रकाश पुत्र रूड़ा का वास्तविक नाम प्रेमाराम पुत्र रूड़ाराम ही होना बताया है। वादी के दस्तावेजात् यथा राशन कार्ड, आधार कार्ड, [illegible] कार्ड, जन आधार कार्ड, पासपोर्ट, भारत निर्वाचन आयोग के पहचान पत्र में वादी का नाम प्रेमाराम पुत्र रूड़ाराम ही दर्ज है। पटवारी हल्का थोई की रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.11.18 18:11:33 IST
Reason: SelfAttested

10/11/22
दिलीप सिंह
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

श्रीमाधोपुर ने ओमप्रकाश पुत्र रूड़ाराम के स्थान पर प्रेमाराम पुत्र रूड़ाराम शुद्ध किये जाने की अभिशंषा अपनी रिपोर्ट में की है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर की जाँच रिपोर्ट के आधार पर वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र बाबत घोषणा एवं दुरूस्ती रिकार्ड स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–ः क्रियात्मक आदेश ः–

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादी का वाद बाबत् घोषणा एवं दुरूस्ती रिकार्ड को स्वीकार किया जाता है तथा तन् ग्राम बड़ी ढाणी (थोई) पटवार हल्का थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 2256, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2264, 2265, 2267, 2268, 2269, 2271, 2272, 2317 कुल किता–14 कुल रकबा 3.5200 हैक्टर एवं कृषि भूमि खसरा नम्बर 2257, 2263, 2270, 2318, 2319, 2320 कुल किता–6 कुल रकबा 1.5800 हैक्टर में हिस्सा 1/16 की खातेदारी में वादी का नाम **"ओमप्रकाश पुत्र रूड़ा"** के स्थान पर **"प्रेमाराम पुत्र रूड़ाराम"** घोषित किया जाता है तथा तदनुसार भूअभिलेख तहसीलदार श्रीमाधोपुर को राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि प्रकरण में राजकीय हित एवं राजस्व अवंचना की जाँच कर तदनुसार राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार दुरूस्त करने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे। इसी अनुसार फर्द डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

10/11/22

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (कास्तकार)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 10.11.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.11.18 18:11:33 IST
Reason: SelfAttested